न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1. निगरानी संख्या– 34/2012–13 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।
सरकार –बनाम– श्री अंकित अग्रवाल आदि

2. निगरानी संख्या– 35/2012–13
सरकार –बनाम– श्री राजेश कुमार अग्रवाल आदि

3. निगरानी संख्या– 36/2012–13
सरकार –बनाम– श्री राजीव कुमार आदि

4. निगरानी संख्या– 37/2012–13
सरकार –बनाम– श्री दीपक कुमार आदि

5. निगरानी संख्या– 38/2012–13
सरकार –बनाम– श्री हरिमोहन अग्रवाल आदि

उपस्थिति : श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

बावत
मौजा भवानीपुर हरसिंह,
तहसील लालकुआं, जनपद नैनीताल।

आदेश

उपरोक्त निगरानियाँ अपर आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल द्वारा निगरानी संख्या–84 वर्ष 2011–12/5(2012–13) अंकित अग्रवाल बनाम पन्ना जीवन लाल आदि, निगरानी संख्या– 85 वर्ष 2011–12/7(2012–13) राजेश कुमार बनाम पन्ना जीवन लाल आदि, निगरानी संख्या– 86 वर्ष 2011–12/9(2012–13) राजीव कुमार बनाम पन्ना जीवन लाल आदि, निगरानी संख्या– 83 वर्ष 2011–12/4(2012–13) दीपक कुमार बनाम पन्ना जीवन लाल आदि एवं निगरानी संख्या– 82 वर्ष 2011–12/6(2012–13) हरिमोहन बनाम पन्ना जीवन लाल आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 20–12–2012 के विरूद्व योजित की गई हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिपक्षी संख्या–2 पन्ना जीवन लाल द्वारा प्रतिपक्षी संख्या–1 अंकित अग्रवाल, राजेश कुमार, राजीव कुमार, दीपक कुमार एवं हरिमोहन अग्रवाल के पक्ष में सम्पादित विक्रय पत्र जो उप निबन्धक, हल्द्वानी द्वारा नामान्तरण हेतु धारा–34/35 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार लालकुआँ के न्यायालय को प्रेषित किये गये के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। इश्तहार जारी होने के उपरान्त प्रतिपक्षी संख्या–3 केशर शुगर मिल की ओर से नामान्तरण वाद में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गई। नामान्तरण वाद में केतागण अंकित अग्रवाल आदि उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार, लालकुआँ द्वारा सभी नामान्तरण वाद इस आशय से निर्णयादेश दिनांक 19–09–2011 से खारिज किये गये कि वादग्रस्त भूमि नियत

प्राधिकारी द्वारा सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत घोषित की गई है तथा सीलिंग वाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये हैं, अतः ऐसी स्थिति में एकतरफा आदेश कर दाखिल खारिज वाद खारिज किया जाता है। तहसीलदार द्वारा पारित इन आदेशों दिनांक 19–09–2011 के विरूद्व प्रतिपक्षीगण अंकित अग्रवाल आदि ने विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के समक्ष पृथक–पृथक निगरानियाँ भू–राजस्व अधिनियम की धारा–219 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। विद्वान अपर आयुक्त ने विस्तृत विवेचना करते हुए अपने निर्णयादेश दिनांक 20–12–2012 से सभी निगरानियां स्वीकार कर तहसीलदार, लालकुआँ द्वारा नामान्तरण वादों में पारित आदेश दिनांक 19–09–2011 निरस्त करते हुए नामान्तरण स्वीकार किये गये। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित इन आदेशों के विरूद्व राज्य सरकार की ओर से उपरोक्त पृथक–पृथक निगरानियाँ इस न्यायालय में योजित की गई हैं।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि सीलिंग से प्रभावित है। तहसीलदार ने भी दाखिल खारिज वाद इस आधार पर निरस्त किये थे कि वादग्रस्त भूमि के सीलिंग के अन्तर्गत होने के सम्बन्ध में रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने अपने निर्णयादेश दिनांक 22–03–2012 से वादग्रस्त भूमि को सीलिंग के अन्तर्गत होने से अतिरिक्त घोषित किया गया था और कलेक्टर के आदेश से इसका इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में अंकित है जो लगातार चला आ रहा है। अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज किया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित है। अपर आयुक्त द्वारा तथ्यों एवं अभिलेखों को नजर अन्दाज कर प्रश्नगत आदेश पारित किये गये हैं। वादग्रस्त भूमि सीलिंग के अन्तर्गत है और अपर आयुक्त द्वारा निगरानी में जो आदेश दिनांक 20–12–2012 पारित किये गये हैं वे निरस्त होने योग्य हैं।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या–1 का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पन्ना जीवनलाल की संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात रही है और प्रतिपक्षीगण ने उक्त भूमि पंजीकृत बैनामे से क्रय की थी और क्रय किये जाने के दिनांक से उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष कि प्रश्नगत भूमि सीलिंग से प्रभावित है पटवारी की रिपोर्ट तथा राजस्व अभिलेखों के विपरीत है। यदि प्रश्नगत भूमि सीलिंग से प्रभावित होती तो उसका इन्द्राज सम्बन्धित भू–अभिलेखों खसरा खतौनी में अवश्य दर्ज होता। मा0 उच्च न्यायालय में गतिमान रिट पिटीशन संख्या–670/एम0एस0 वर्ष 2011 केशर शुगर मिल बहेड़ी बनाम महेन्द्र कुमार दास आदि में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम सुनवाई तक रोक लगाई गई थी

जिसका उल्लेख पटवारी ने अपनी नामान्तरण रिपोर्ट में किया है। रिट पिटीशन व उसमें पारित स्थगन आदेश दिनांक 21–04–2011 मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने दिनांक 19–04–2012 को निरस्त कर दिया था जिसके विरूद्व कोई निगरानी/अपील किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। दाखिल खारिज वाद में एकतरफा आदेश पारित कर दाखिल खारिज वाद तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिये गये। दाखिल खारिज कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है जिससे स्वामित्व का निर्धारण नहीं होता। नामान्तरण वाद में भी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश आपत्तिकर्ता केशर शुगर मिल की आपत्ति के आधार पर पारित किये गये थे और उनके द्वारा अपनी आपत्ति वापस लिये जाने उपरान्त नामान्तरण वाद में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति शेष नहीं रहती। अपर आयुक्त द्वारा निगरानी में पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। राज्य सरकार की निगरानी निरस्त होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ताओं की उपरोक्त बहस तथा अवर न्यायालयों की पत्रावली के सम्यक अवलोकन उपरान्त यह स्पष्ट है कि विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 20–12–2012 के अन्तिम प्रस्तर में सभी पहलुओं पर विस्तृत विवेचना उपरान्त आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा निगरानियाँ बलयुक्त न होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं।

बलयुक्त न होने के कारण उपरोक्त सभी निगरानियाँ निरस्त की जाती हैं तथा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20–12–2012 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति शेष निगरानी पत्रावलियों पर भी रखी जाय।

दिनांकः 23 अगस्त, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।